

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 1211/2024

in

S.B. Criminal Appeal No.1610/2024

T Son Of Shri Narendra Singh Tomar @ Narayan Singh Tomar,
Aged About 19 Years, Resident Of Village Baripur, Post
Ludhiyana, Police Station Bakewar, Tehsil Barthna, District
Etawa, Uttar Pradesh. (At Present Confined In Central Jail,
Bharatpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Rajveer Singh Gurjar
For Respondent(s)	: Mr. Tej Prakash Sharma, Spl. P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

10/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त 'त' पुत्र नरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से विचारण न्यायालय—बालक न्यायालय (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या—111/2021, सरकार बनाम 'शि' पुत्र रवीन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 14.06.2024 के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी लम्बी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है, उसे अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है तथा उसकी अभिरक्षा अवधि पांच वर्ष से अधिक की हो चुकी है।

दौराने बहस उनका यह भी तर्क रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, मनोहर लाल ऐनानी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य** के मामलों में लंबी हिरासत के कारण जमानत देने की अवधारणा पर विचार किया था, **मनोहर लाल (सुप्रा)** के मामले में आरोपी को जमानत देने के लिए पांच साल से अधिक की हिरासत अवधि को पर्याप्त माना गया था। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रस्तुत अपील के शीघ्र निस्तारण की सम्भावना क्षीण है, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने प्रकरण की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित कराकर प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की दशा में विधिनुसार शर्त अधिरोपित किए जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्षों के तर्कों वितर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, संबंधित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि एवं इससे संबंधित विधिक न्यायिक दृष्टान्तों तथा प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद

50,000 /— रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000 /—रूपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **10.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, वह उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त—“त” पुत्र श्री **नरेन्द्र सिंह तोमर उर्फ नारायण सिंह तोमर** को निम्नलिखित शर्तों पर अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए:—

1. अपीलार्थी/अभियुक्त सजा के निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और किसी भी प्रकार का अपराध नहीं दोहराएगा।
2. अपीलार्थी/अभियुक्त अपील के निर्णय होने तक प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
3. यदि अपीलार्थी/अभियुक्त अपना निवास स्थान परिवर्तित करता है, तो वह अपना परिवर्तित पता लिखित रूप में विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को सूचित करेगा।
4. इसके अतिरिक्त यदि जमानती भी अपना निवास स्थान परिवर्तित करते हैं तो उन्हें भी विचारण न्यायालय को लिखित रूप सूचना देनी होगी।

यदि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त सजा स्थगन का आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J